भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 126 #
दिनांक 01.12.2025 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन योजना की सफलता

126 # श्री नीरज डांगी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को मिली सफलता का ब्यौरा क्या है;
(ख) जिला खनिज फाउंडेशन योजना के तहत सबसे अधिक वित्त प्राप्त करने वाले जिलों की जिले-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा डी.एम.एफ फंड से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करने की योजना बनाने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के तहत डीएमएफ को खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास और आजीविका सृजन, स्वच्छता, आवासन, कृषि और पशुपालन और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर धन व्यय करना अनिवार्य है। सितंबर 2025 तक, 98,402 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 63,981 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 4.18 लाख स्वीकृत परियोजनाओं में से 2.48 लाख परियोजनाएं सितंबर 2025 तक पूरी की जा चुकी हैं।

(ख) जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को खनन पट्टा धारकों से वैधानिक योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित रॉयल्टी के प्रतिशत के

बराबर होता है। डीएमएफ फंड का जिला-वार ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट (https://mines.gov.in/webportal/content/state-dmf) पर उपलब्ध है।

(ग) पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024 के अनुसार, ग्राम सभा/स्थानीय निकाय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इन दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में डीएमएफ निधियों का उपयोग संविधान की अनुसूची V और अनुसूची VI के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों द्वारा विनिर्देशित किया जाता है।

*****